ऑन लाईन नं.GCMS2023/244

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 95 / 2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री कमल गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग –(विक्रेता व मालिक)–
मै0 गर्ग किरयाना स्टोर, 42 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. अजय कुमार , राकेश कुमार, –(निर्माता)–
मैसर्स सोहन लाल रविन्द्र कुमार दुकान नम्बर 88ए के पिछे, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय दिनांक : 19.01.2024

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः– आयुक्ता0 / खासुऔनि / रांस्था / 2022 / 6360 दिनांक 26.12.2022 है।

श्रीमान् आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनों के प्रकरणों की अभियोजन समयसीमा बढाने एवं मान्य न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आदेशित किया गया है। आवेदक श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाक्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने श्रीमान अभिहीत अधिकारी गंगानगर से उनके पत्र कमांक 3096 दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर परिवाद मा. न्यायालय में पेश किया।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2022 को समय दोपहर पूर्व 10.00 बजे मै. गर्ग किरयाना स्टोर, 42 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विकेता की हैसियत से श्री कमल गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने दुकान के अन्दर एक रैक में 750 एमएल की 14 पैक बोतल **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** का नमुना विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2023/244

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विकय हेतु उपलब्ध **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड) 4 पैक बोतले को** विकेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विकेता को उक्त कयशुदा **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 400/– रूपये किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विकेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विकेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री कमल गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विकेता एवं मालिक श्री कमल गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड) के 4 पैक बोतल शुद्वता की जांच के लिए ली।** चारों पैक बोतलों पर लैबल तैयार का चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1395** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं.के–1395** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री कमल गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. कम सी.एम. एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :– एलएस/313/एक्ट/2022/313 दिनांक 07.03.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1395 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त कमल गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग **मैसर्स** गर्ग किरयाना स्टोर, 42 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. यह कि दिनांक 19.02.2022 को प्रार्थी की दुकान से कोई भी वस्तु जब्त नहीं की गयी थी ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** के पैकेट जब्त किये थे।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** का कोई भी स्टोक नहीं रखा हुआ था।
3. यह कि प्रार्थी के हस्ताक्षर केवल मात्र जांच के आधार पर करवाये गये थे और प्रार्थी को **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** जब्त करने के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं दी गयी थी। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर खाद्य पदार्थ **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** नहीं बेचा जा रहा था। प्रार्थी द्वारा दुकान पर जो भी सामान विक्रय किया जाता है वह बाजार से मय बिल खरीद किया जाता है तथा सरकार के मानकों के तहत ही खरीद किया जाता है और विक्रय किया जाता है। प्रार्थी के जांच अधिकारी द्वारा खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर गलत नोटिस प्रेषित किया गया है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व जारी किये गये नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1395** जांच रिपोर्ट क्रमांक :– एलएस/313/एक्ट/2022/313 दिनांक 07.03.2022 अनुसार खाद्य नमूना **K-1395 Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 19.02.2022 को प्रार्थी की दुकान से कोई भी वस्तु जब्त नहीं की गयी थी ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** की बोतले जब्त की गई थी। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** का कोई भी स्टोक नहीं रखा हुआ था। प्रार्थी के हस्ताक्षर केवल मात्र जांच के आधार पर करवाये गये थे और प्रार्थी को **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** जब्त करने के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं दी गयी थी। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर खाद्य पदार्थ **गुलाब शरबत (बाउ जी ब्राण्ड)** नहीं बेचा जा रहा था। प्रार्थी द्वारा दुकान पर जो भी सामान विक्रय किया जाता है वह बाजार से मय बिल खरीद किया जाता है तथा सरकार के मानकों के तहत ही खरीद किया जाता है और विक्रय किया जाता है। प्रार्थी के जांच अधिकारी द्वारा खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर गलत नोटिस प्रेषित किया गया है। लिहाजा प्रार्थी के विरूद्व जारी किये गये नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2023/244

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Gulab Sharbat (बाउ जी ब्राण्ड)" bearing Code No and Sr. No. K-1395, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food safety and Standards Act-2006 जाच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री कमल गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग एक्ट 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री कमल गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000-00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।